अध्याय-5

वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यों की अधिप्राप्ति

अध्याय-5

वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यों की अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा प्रक्रिया के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण ने आई आई टी, रुड़की द्वारा स्थापित कठोर तृतीयक शोधन मानकों में ढील दी, अर्थात शून्य एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर के फेकल कॉलिफॉर्म को 100 एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर तक छूट दी गई थी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) के मानकों के अनुसार वांछनीय सीमा है। तदनुसार, शिथिल मानकों के आधार पर सीवेज शोधन संयंत्रों (एस टी पी) के निर्माण/उन्नयन के लिए ठेके दिए गए। परिसमापन क्षतिपूर्ति की अपर्याप्त वसूली, निधियों का अन्यत्र उपयोग, बैंक गारंटियों का नवीनीकरण न किए जाने और रॉयल्टी एवं श्रम उपकर आदि की कटौती न किए जाने के मामले भी प्रकाश में आए थे।

5.1 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

नमामि गंगे 100 *प्रतिशत* केंद्र पोषित योजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन एम सी जी), जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक सोसायटी है और नमामि गंगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है, परियोजनाओं[1] को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस एम सी जी) को एकमुश्त आधार पर धनराशि जारी करती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण से संबंधित पूर्ववर्ती परियोजनाओं के राज्यांश में स्थापना व्यय (70:30 हिस्सेदारी के आधार पर) तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि लागत शामिल है। वानिकी गतिविधियों के लिए वन विभाग को निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, विभिन्न घटकों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोग की स्थिति निम्न **तालिका-5.1** में दी गई है:

तालिका-5.1: निधियों की उपलब्धता और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियाँ				कुल उपलब्ध धनराशि	उपयोग की गयी धनराशि	एन एम सी जी को वापस की गई धनराशि	शेष अव्ययित धनराशि
		केन्द्रांश	स्थापना लागत के लिए राज्यांश	ब्याज और अन्य	योग				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=2+6	8	9	10=7-(8+9)
2018-19	79.46	320.57	5.50	1.90	327.97	407.43	378.06	0.13	29.24
2019-20	29.24	104.31	0.30	0.97	105.58	134.82	108.35	0.12	26.35
2020-21	26.35	126.83	1.27	1.39	129.49	155.84	133.51	0.32	22.01
2021-22	22.01	153.16	0.62	2.21	155.99	178.00	158.81	5.50	13.69
2022-23	13.69	90.00	5.25	0.95	96.20	109.89	94.44	15.27	0.18
योग		***794.87***	***12.94***	***7.42***	***815.23***	***985.98***	***873.17***	***21.34***	

स्रोत: एस एम सी जी, परियोजना प्रबंधन इकाई एवं पी डी, गंगा के लिए वानिकी गतिविधियाँ, नमामि गंगे।

[1] इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन तथा एस टी पी के निर्माण और नदी तट विकास (स्नान घाट और श्मशान घाट का निर्माण) से संबंधित परियोजनाएं।

लेखापरीक्षा में नमामि गंगे निधियों के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

5.1.1 कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का अवरोधन

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को अनुदान सहायता या अग्रिम (प्रतिपूर्ति को छोड़कर) के सापेक्ष अर्जित समस्त ब्याज या अन्य आय को, लेखा को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद, भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) में अनिवार्य रूप से जमा कराना चाहिए। एन एम सी जी ने एस एम सी जी से अनुरोध किया था (दिसंबर 2020, जनवरी 2021 एवं अप्रैल 2022) कि अर्जित बैंक ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र एन एम सी जी को समर्पित किया जाए ताकि उसे सी एफ आई में जमा किया जा सके। एस एम सी जी ने सभी कार्यान्वयन अभिकरणों (आई ए) को निर्देश जारी किए (फरवरी 2020, अगस्त 2021 और नवंबर 2021) कि जैसे ही परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं एवं उन्हें अनुरक्षण अभिकरणों को सौंप दिया जाए, उनके बैंक खातों में शेष अव्ययित धनराशि तथा उस पर अर्जित ब्याज सहित एस एम सी जी को समर्पित किया जाए ताकि उसे आगे एन एम सी जी को समर्पित किया जा सके एवं सी एफ आई में जमा कराया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई ए ने ₹ 1.92 करोड़[2] की अव्ययित धनराशि और ₹ 0.59 करोड़[3] की बैंक ब्याज की धनराशि एस एम सी जी को समर्पित नहीं की, और उसे अपने प्रभागीय बैंक खाते में रखा हुआ था। यह उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि उसने सभी अभिकरणों को यह निर्देश दिया है कि वे अर्जित बैंक ब्याज को सम्मिलित करते हुए अव्ययित धनराशि को शीघ्रता से वापस करें। संबंधित आई ए से यह धनराशि प्राप्त होने के पश्चात्, उसे एन एम सी जी को समर्पित कर दिया जाएगा।

---

[2] पी एम, यू जे एन, गंगा ऋषिकेश: ₹ 0.39 करोड़; पी एम, यू जे एन, गंगा श्रीनगर: ₹ 0.09 करोड़; ई ई, आई डी, हरिद्वार: ₹ 0.05 करोड़; ई ई, आई डी, नई टिहरी: ₹ 0.02 करोड़; ई ई आई डी श्रीनगर: ₹ 0.02 करोड़; ई ई, आई डी, उत्तरकाशी: ₹ 0.96 करोड़ एवं यू पी डी सी सी: ₹ 0.39 करोड़ (कुल: ₹ 1.92 करोड़)।

[3] पी एम (यांत्रिक), यू जे एन, गंगा हरिद्वार: ₹ 0.07 करोड़; पी एम, यू जे एन, गंगा हरिद्वार: ₹ 0.03 करोड़; पी एम, यू जे एन, गंगा श्रीनगर: ₹ 0.03 करोड़; पी एम, यू जे एन, गंगा गोपेश्वर: ₹ 0.06 करोड़; ई ई, एम डी, यू जे एस, गंगा हरिद्वार: ₹ 0.08 करोड़; ई ई, एम डी, यू जे एस, देवप्रयाग: ₹ 0.01 करोड़; ई ई, एम डी, यू जे एस, रुद्रप्रयाग: ₹ 0.0005 करोड़; ई ई, एम डी, यू जे एस, पौड़ी: ₹ 0.004 करोड़; ई ई, एम डी, यू जे एस, कर्णप्रयाग: ₹ 0.0009 करोड़; ई ई, एम डी, यू जे एस, गोपेश्वर; ₹ 0.01 करोड़; ई ई, आई डी, हरिद्वार: ₹ 0.02 करोड़; ई ई, आई डी, श्रीनगर: ₹ 0.11 करोड़; यू पी डी सी सी: ₹ 0.03 करोड़ और यू के पी सी बी: ₹ 0.13 करोड़ (कुल: ₹ 0.59 करोड़)।

5.2 तृतीयक शोधन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे

अपशिष्ट जल का तृतीयक शोधन, अपशिष्ट जल शोधन का तीसरा चरण (द्वितीयक शोधन के बाद) है एवं इसे उन्नत शोधन[4] के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक शोधन परियोजनाओं के लिए एन एम सी जी द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (ए ए एवं ई एस) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार:

1. निविदा दस्तावेज़ तकनीक-निरपेक्ष होना चाहिए। बोलीदाताओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे कोई भी उपयुक्त तकनीक चुन सकें, बशर्ते कि वह वांछित शोधन परिणाम प्राप्त कर सके।
2. मूल्यांकन अभिकरण (आई आई टी, रुड़की) द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में अनुशंसित सभी शर्तों का पालन राज्य सरकार और पेय जल निगम द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) के मूल्यांकन के दौरान आई आई टी, रूड़की द्वारा तृतीयक शोधित अपशिष्ट जल की जल गुणवत्ता के परिणाम मापदंड निर्धारित किए गए थे।

हरिद्वार में, दो एस टी पी (68 एम एल डी एस टी पी जगजीतपुर और 14 एम एल डी एस टी पी सराय) को तृतीयक शोधन एस टी पी के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, दो और एस टी पी (27 एम एल डी जगजीतपुर और 18 एम एल डी सराय) को अतिरिक्त उपकरण/संयंत्र लगाकर तृतीयक शोधन स्तर तक उन्नत किया गया है। इन एस टी पी का विवरण निम्न **तालिका-5.2** में दिया गया है:

तालिका-5.2: तृतीयक शोधन संयंत्र के लिए नियोजित एस टी पी का विवरण

स्थान	क्षमता	कमीशनिंग वर्ष	शोधन की स्थिति
जगजीतपुर	27 एम एल डी	2009	2017 में तृतीयक शोधन संयंत्र (टी टी पी) में उन्नयन किया गया
	68 एम एल डी	2020	टी टी पी के रूप में स्थापना के लिए स्वीकृत, वर्तमान में द्वितीयक शोधन के साथ संचालित होता है
सराय	14 एम एल डी	2020	टी टी पी के रूप में स्थापना के लिए स्वीकृत, वर्तमान में द्वितीयक शोधन के साथ संचालित होता है
	18 एम एल डी	2014	2017 में टी टी पी में उन्नयन किया गया

लेखापरीक्षा में तृतीयक शोधन एस टी पी की स्थापना एवं उन्नयन के संबंध में निम्न अनियमिततायें पायी गयीं।

[4] तृतीयक शोधन में निस्पंदन, आयन एक्सचेंज, सक्रिय कार्बन सोखना, इलेक्ट्रो डायलिसिस, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

5.2.1 तृतीयक शोधन संयंत्रों के नाम पर द्वितीयक शोधन एस टी पी की स्थापना

वर्ष 2016 में, कार्यान्वयन अभिकरण उत्तराखण्ड जल निगम[5] (यू जे एन) द्वारा तृतीयक शोधन मानकों के साथ जगजीतपुर में 68 एम एल डी एस टी पी एवं सराय में 14 एम एल डी एस टी पी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस परियोजना की डी पी आर का परीक्षण आई आई टी, रुड़की (नवंबर एवं दिसंबर 2016) द्वारा किया गया था। आई आई टी, रुड़की ने तृतीयक शोधन हेतु कठोर मानक स्थापित किए थे, जिनमें शून्य एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर मानक का फेकल कॉलिफॉर्म शामिल था, यह डी पी आर में 230 एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर था, जो कि एन जी टी के मानकों के अनुसार अनुमन्य था। इन कठोर मानकों सहित डी पी आर को मार्च 2017 में एन एम सी जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा प्रक्रिया के दौरान, कार्यान्वयन अभिकरण ने तृतीयक शोधन मानकों में छूट दी, उदाहरण के लिए, फेकल कॉलिफॉर्म आवश्यकता को 100 एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर तक छूट दी गई थी, जो कि एन जी टी के मानकों के अनुसार वांछनीय सीमा है। तदनुसार, 100 एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर के शिथिल मानकों पर दो एस टी पी के निर्माण के लिए अनुबंध (अक्टूबर 2017) प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि इन एस टी पी का वर्तमान परफॉरमेंस अनुबंध में विनिर्दिष्ट शिथिल द्वितीयक शोधन मानकों से भी कम है, जैसा कि नीचे **तालिका-5.3** में दिया गया है:

तालिका-5.3: एस टी पी का परफॉरमेंस

मानक	आई आई टी के अनुसार तृतीयक शोधन मापदंड	द्वितीयक शोधन मानक (ठेकेदार के साथ अनुबंध)	68 एम एल डी एस टी पी का परफॉरमेंस	14 एम एल डी एस टी पी का परफॉरमेंस
टी एस एस	5 मिग्रा/ली	≤10 मिग्रा/ली	25	14
फेकल कॉलिफॉर्म	0 एम पी एन/100 मिली लीटर	≤100 एम पी एन/100 मिली लीटर	17 X 10^3	22 X 10^3

नोट: एस टी पी का परफॉरमेंस सी पी सी बी परीक्षण रिपोर्ट अप्रैल-जुलाई 2023 से लिया गया है।

[5] पी एम, निर्माण एवं अनुरक्षण खण्ड, यू जे एन, गंगा हरिद्वार।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि दोनों एस टी पी का निर्माण डी पी आर में विनिर्दिष्ट एवं एन जी टी के मानकों के अनुसार शोधन मानकों को प्राप्त करने के लिए किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन एस टी पी के निर्माण के दौरान आई आई टी, रुड़की द्वारा विनिर्दिष्ट शून्य एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर के फेकल कॉलिफॉर्म मानक का अनुपालन नहीं किया गया था।

5.2.2 तृतीयक शोधन संयंत्रों के लिए एस टी पी का उन्नयन

कार्यान्वयन अभिकरण उत्तराखण्ड जल निगम (यू जे एन) ने मई 2016 में मौजूदा 27 एम एल डी एस टी पी (जगजीतपुर) और 18 एम एल डी एस टी पी (सराय) को तृतीयक शोधन संयंत्रों में उन्नयन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आई आई टी, रुड़की द्वारा परीक्षित (नवंबर 2016) परियोजना की डी पी आर में तृतीयक शोधन के लिए कठोर मानक निर्धारित किए थे, जिनमें शून्य एम पी एन प्रति मिली लीटर मानक का फेकल कॉलिफॉर्म शामिल था, यह डी पी आर में 100 एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर था, जो कि एन जी टी के मानकों के अनुसार वांछित सीमा थी। इन कठोर मानकों सहित डी पी आर को मार्च 2017 में एन एम सी जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा प्रक्रिया के दौरान, कार्यान्वयन अभिकरण ने 100 एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर के फेकल कॉलिफॉर्म मानक को जारी रखा और तदनुसार दो एस टी पी के उन्नयन के लिए अनुबंध (अक्टूबर 2017) प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन अभिकरण ने अपने प्रस्ताव में हरिद्वार में एस टी पी का तृतीयक शोधन में उन्नयन करने के लिए दिल्ली में निलोथी एस टी पी को एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया था। निलोथी एस टी पी तृतीयक शोधन पर काम करता है एवं एन जी टी निरीक्षण के दौरान इसका फेकल कॉलिफॉर्म स्तर शून्य एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर प्राप्त करना पाया गया। इसके बावजूद, आई आई टी, रुड़की द्वारा निर्धारित कठोर तृतीयक मानकों की अवहेलना की गई एवं निविदा चरण के दौरान छूट दी गई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि निविदा दस्तावेज़ में प्रदर्शन मानक उस समय प्रचलित एन जी टी मानकों के अनुसार शिथिल किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन एस टी पी के उन्नयन के दौरान आई आई टी, रुड़की द्वारा विनिर्दिष्ट शून्य एम पी एन प्रति 100 मिली लीटर के फेकल कॉलिफॉर्म मानक का अनुपालन नहीं किया गया था।

5.3 मास्टर कंट्रोल स्टेशन का संचालन न होना

परियोजना प्रबंधक, यू जे एन, हरिद्वार द्वारा 18 सीवरेज पंपिंग स्टेशन का रियल टाइम अनुश्रवण करने के लिए ₹ 0.40 करोड़ की लागत से हरिद्वार में एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन (एम सी एस) का निर्माण किया गया एवं उत्तराखंड जल संस्थान (यू जे एस), हरिद्वार को हस्तांतरित कर दिया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एम सी एस जनवरी 2022 से संचालित नहीं था। अधिशासी अभियंता (यू जे एस-गंगा), हरिद्वार ने बताया कि अपर्याप्त जनशक्ति एवं धन की कमी के कारण इसका संचालन नहीं किया गया। इसलिए, एम सी एस के संचालित न होने के कारण हरिद्वार में सभी 18 सीवरेज पंपिंग स्टेशन इस अवधि में तकनीकी रूप से अनुश्रवण से वंचित रहे।

राज्य सरकार ने उपरोक्त तथ्यों (मई 2024) को स्वीकार किया और कहा कि कुशल सॉफ्टवेयर अभियंता की कमी के कारण एम सी एस नहीं चल रहा था। अब प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैनात किया गया है और एम सी एस प्रणाली संचालित हो रही है एवं सभी सीवरेज पंपिंग स्टेशन का अनुश्रवण एम सी एस द्वारा किया जा रहा है।

5.4 सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-VI के प्रस्तर 318 में कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्पष्ट प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत छः सिंचाई खण्डों[6] द्वारा घाट/शवदाह गृह के विकास कार्य निष्पादित किए गए थे। छः खण्डों में से चार खण्डों ने सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया (जैसा कि ***परिशिष्ट-5.1*** में वर्णित किया गया है)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि कार्य के महत्व और तात्कालिकता एवं आगामी मानसून के कारण, कुछ कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, और सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी की प्रत्याशा में कार्य शुरू किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि कार्यों के प्रारंभिक चरण में सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्राप्त की गई थी।

---

[6] ई ई, आई डी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी, थराली, श्रीनगर और उत्तरकाशी।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सभी कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में काफी विलंब किया गया जो एक माह से आठ माह तक था। इसके अतिरिक्त, तकनीकी मंजूरी के संबंध में लागू नियमों के अनुपालन की भी उपेक्षा की गई थी।

5.5 परियोजना तैयार करने एवं पर्यवेक्षण प्रभार पर अतिरिक्त व्यय

नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि ए ए एवं ई एस के अनुसार मूल पूंजीगत लागत का अधिकतम चार *प्रतिशत* डी पी आर तैयार करने और इतना ही परियोजना पर्यवेक्षण के लिए स्वीकार्य है। यदि अनुबंध की लागत ए ए एवं ई एस लागत से कम है, तो अनुबंध की लागत पर चार *प्रतिशत* की सीमा लागू होगी। प्रत्येक परियोजना की तैयारी और परियोजना पर्यवेक्षण पर व्यय ए ए एवं ई एस/अनुबंध की लागत, जो भी कम हो, के चार *प्रतिशत* तक सीमित होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि पेयजल निगम (गंगा खण्ड) के तीन परियोजना प्रबंधकों ने परियोजना निधि से उपर्युक्त सीमा से ₹ 1.83 करोड़ (परियोजना तैयारी पर ₹ 1.05 करोड़[7] एवं पर्यवेक्षण प्रभार पर ₹ 0.78 करोड़[8]) अधिक व्यय किए जो एन एम सी जी के निर्देशों का उल्लंघन था। यह अतिरिक्त व्यय परियोजना की तैयारी एवं पर्यवेक्षण प्रभारों पर सभी वास्तविक व्यय को परियोजना निधियों पर वहन किए जाने के कारण था। अतिरिक्त व्यय का विवरण नीचे **तालिका-5.4** में दिया गया है:

तालिका-5.4: परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय

(₹ लाख में)

कार्यान्वयन अभिकरण	परियोजना	स्वीकृत पूंजी लागत	अनुबंधित पूंजी लागत	प्रावधान के अनुसार		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
				पी पी @4%	पी एस @4%	पी पी	पी एस	पी पी	पी एस
यू जे एन हरिद्वार	14 एम एल डी एस टी पी सराय	2,315.42	4,140.00	92.62	92.62	128.86	151.45	36.24	58.83
	68 एम एल डी एस टी पी जगजीतपुर	10,209.42	9,930.00	397.20	397.20	444.63	-	47.43	-
योग								***83.67***	***58.83***

[7] परियोजना तैयारी [पी एम, यू जे एन, हरिद्वार: ₹ 0.84 करोड़ {₹ 0.36 करोड़ + ₹ 0.48 करोड़} + पी एम, यू जे एन, श्रीनगर: ₹ 0.15 करोड़ और पी एम, यू जे एन, चमोली: ₹ 0.06 करोड़] (कुल: ₹ 1.05 करोड़)।

[8] परियोजना पर्यवेक्षण [पी एम, यू जे एन, हरिद्वार: ₹ 0.59 करोड़ + पी एम, यू जे एन, चमोली: ₹ 0.19 करोड़) (कुल: ₹ 0.78 करोड़)।

कार्यान्वयन अभिकरण	परियोजना	स्वीकृत पूंजी लागत	अनुबंधित पूंजी लागत	प्रावधान के अनुसार		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
				पी पी @4%	पी एस @4%	पी पी	पी एस	पी पी	पी एस
यू जे एन श्रीनगर	3.5 एम एल डी एस टी पी श्रीनगर का उन्नयन	405.28	350.00	14.00	14.00	27.02	-	13.02	-
	रुद्रप्रयाग में छः एस टी पी के साथ आई एवं डी	727.31	629.30	25.17	25.17	26.62	-	1.45	-
	श्रीकोट में दो एस टी पी के साथ आई एवं डी	395.83	317.50	12.70	12.70	13.45	-	0.75	-
योग								***15.22***	
यू जे एन गोपेश्वर	बद्रीनाथ में दो एस टी पी के साथ आई एवं डी	934.73	654.88	26.20	26.20	32.06	29.67	5.86	3.47
	जोशीमठ में दो एस टी पी के साथ आई एवं डी	3,706.76	2,921.03	116.84	116.84	93.47	129.96	-	13.12
	चमोली में पाँच एस टी पी के साथ आई एवं डी	2,912.11	2,710.80	108.43	108.43	108.43	111.19	-	2.76
योग								***5.86***	***19.35***
महायोग								***104.75***	***78.18***

पी पी या पी एस @ चार प्रतिशत (स्वीकृति के अनुसार या अनुबंध के अनुसार पूंजी लागत, जो भी कम हो)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण प्रभार पर व्यय वास्तविक व्यय के अनुसार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने व्यय को ए ए एवं ई एस/अनुबंधित लागत के निचले स्तर तक सीमित करने की शर्त की अनदेखी की।

5.6 परिसमापन क्षतिपूर्ति की कम वसूली

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2017 के नियम 43 के अनुपालन में, प्रत्येक अनुबंध में कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर लगाए जाने वाले परिसमापन क्षतिपूर्ति के विशिष्ट प्रावधान शामिल है। अनुबंधों के अनुसार, कार्यों की पूर्णता में देरी की स्थिति में ठेकेदारों से प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का 0.50 *प्रतिशत* परिसमापन क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किया जाना था, जिसकी अधिकतम वसूली अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* तक सीमित रखी गई थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकरणों को देखा जहाँ परिसमापन क्षतिपूर्ति विवेकाधीन आधार पर कम लगाई गई थी:

ठेकेदारों ने तीन आई ए[9] में सीवेज परियोजनाओं से संबंधित तीन कार्यों को नियत समय में पूरा नहीं किया। कार्यों को 530 से 1,216 दिनों की देरी से पूरा किया गया। खण्डों ने ₹ 20.59 करोड़ की आवश्यक परिसमापन क्षतिपूर्ति के सापेक्ष केवल ₹ 0.89 करोड़ आरोपित किए। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 205.88 करोड़ के अनुबंधित संविदा मूल्य पर ₹ 19.70 करोड़ की परिसमापन क्षतिपूर्ति की कम वसूली की। (जैसा की ***परिशिष्ट-5.2*** में वर्णित है)

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि कोविड-19 महामारी, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा के कारण योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 'नमामि गंगे' परियोजनाओं से संबंधित सभी निर्माण कार्यों को कोविड-19 अवधि के दौरान आधिकारिक रूप से अनुमति प्रदान की गई थी एवं इसलिए महामारी के कारण कार्यों में हुई देरी उचित नहीं ठहराई जा सकती। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को वर्षा ऋतु तथा रुक-रुक कर हुई वर्षा के कारण हुई देरी के लिए परिसमापन क्षतिपूर्ति लगाए बिना भुगतान किया जाना अनुचित था, क्योंकि ऐसी मौसमी परिस्थितियों को परियोजना की समयसीमा में पहले से ही समावेश किया जाता है, जैसा कि विभिन्न शासकीय आदेशों में उल्लिखित है। ठेकेदारों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे मौसमी बाधाओं के बावजूद कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए संसाधनों की योजना बनाएं एवं उन्हें जुटाएं। इसके अतिरिक्त, उद्धृत कारण जैसे भूस्खलन एवं अत्यधिक वर्षा, कार्यों में 530 से 1,216 दिनों की देरी को उचित ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतः नियमानुसार परिसमापन क्षतिपूर्ति की वसूली किया जाना चाहिए था।

5.7 नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए बीमा सुरक्षा का अभाव

उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ भारी बारिश होती है जिससे प्रतिवर्ष कई अवसंरचना परियोजनाओं/परिसंपत्तियों को नुकसान होता है। किसी परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से परियोजना की लागत अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। ऐसी अप्रत्याशित लागत वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने अनुबंध की सामान्य शर्तों

[9] पी एम, यू जे एन, गंगा ऋषिकेश, श्रीनगर और गोपेश्वर।

एवं अनुबंध की विशेष शर्त में बीमा का अनिवार्य विकल्प शामिल किया है। ठेकेदार अपने व्यय पर बीमा कवर प्रदान करेगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर आवश्यक बीमा पॉलिसियां और प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, तो नियोक्ता कार्य का बीमा कर सकता है और ठेकेदार से प्रीमियम वसूल सकता है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि तीन आई ए के ठेकेदारों ने नौ अनुबंधों[10] में कार्यों के लिए बीमा नहीं खरीदा/नवीनीकृत नहीं किया। इन अनुबंधों की लागत ₹ 239.01 करोड़ थी। यह न केवल अनुबंध की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि इससे योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य संभावित जोखिमों के प्रति असुरक्षित रहीं, जिससे भविष्य में लागत वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, रुद्रप्रयाग में अनूप नेगी स्कूल के निकट एस टी पी को हुए नुकसान में संपत्ति की क्षति एवं चमोली एस टी पी में करंट लगने के प्रकरण में मानव जीवन की क्षति, (**अध्याय 2 के प्रस्तर 2.6 के प्रकरण 1 एवं 2**) परियोजनाओं के उचित बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा दोष देयता अवधि की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) के साथ सभी अनुबंध 15 वर्षों के लिए निष्पादित किए गए थे। इन सभी एस टी पी की ओ एवं एम अवधि चल रही है एवं दोष देयता अवधि अभी भी चल रही है। इसलिए, ओ एवं एम के कार्य का भी बीमा किया जाना चाहिए।

5.8 बैंक गारंटी का नवीनीकरण न किया जाना

अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार, परफॉरमेंस सिक्युरिटी की धनराशि स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट तिथि तक नियोक्ता को बैंक द्वारा उस प्रारूप या ज़मानत के रूप में प्रदान की जाएगी, जो नियोक्ता को स्वीकार्य हो तथा भारतीय रुपये में अंकित की जाएगी।

[10] यू जे एन ऋषिकेश (1) 18/जी एम/2017-18 (₹ 4.12 करोड़), (2) 20/जी एम/2017-18 (₹ 67.02 करोड़), (3) 01/ जी एम/2021-22 (₹ 6.38 करोड़); यू जे एन गोपेश्वर (4) 01/ जी एम/2016-17 (₹ 1.40 करोड़), (5) 14/ जी एम/2017-18 (₹ 10.48 करोड़); यू जे एन श्रीनगर (6) 10/जी एम/2017-18 (₹ 3.77 करोड़), (7) 02/जी एम /2019-20 (₹ 6.70 करोड़); यू जे एन गोपेश्वर/श्रीनगर (8) 15/जी एम/2017-18 (₹ 69.03 करोड़), (9) 19/जी एम/2017-18 (₹ 70.11 करोड़) (कुल: ₹ 239.01 करोड़)।

परफॉरमेंस सिक्युरिटी दोष दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों की तिथि तक वैध होगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर-52.2 के अनुसार, परफॉरमेंस सिक्युरिटी, दोष दायित्व अवधि के पूरा होने के बाद एवं साथ ही जब अभियंता ने प्रमाणित किया हो कि अवधि समाप्त होने से पहले अभियंता द्वारा ठेकेदार को सूचित किए गए सभी दोषों को ठीक कर दिया गया है, तब ठेकेदार को जारी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध डेटा के अनुसार, दोष दायित्व अवधि सम्पूर्ण कार्य की पूर्णता के प्रमाणन की तिथि से 12 माह की होगी।

आई ए के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि तीन अनुबंधों में परफॉरमेंस सिक्युरिटी के लिए प्रस्तुत किए गए ₹ 2.18 करोड़[11] की धनराशि की बैंक गारंटियां समाप्त हो गई थीं और ठेकेदारों द्वारा उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था। क्योंकि इन अनुबंधों के ओ एवं एम कार्य गतिमान हैं, अतः आई ए को ठेकेदारों से नई/वैध बैंक गारंटी लेनी चाहिए।

राज्य सरकार ने इस तथ्य (मई 2024) को स्वीकार किया और कहा कि ठेकेदारों (यू जे एस/यू जे एन, गोपेश्वर से संबंधित) को नवीनीकृत बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया था। इसी मध्य, कार्यकारी अभिकरण ने बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तक ओ एवं एम के भुगतान को रोक दिया है। अतः, नई बैंक गारंटी की प्रतीक्षा की जा रही है। हरिद्वार से संबंधित अनुबंध के मामले में, यह सूचित किया गया था कि अक्टूबर 2030 तक बैंक गारंटी का नवीनीकरण (फरवरी 2024 में) किया गया था।

5.9 अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी जमा न किया जाना

उत्तराखण्ड शासन ने निर्माण कार्यों में विभागीय दर से कम दर पर निविदा स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी[12] की धनराशि निर्धारित (जनवरी 2013) की है।

---

[11] 01/जी एम/2018-19 (यू जे एस, गोपेश्वर): ₹ 0.03 करोड़, 14/ जी एम/2017-18 (यू जे एन/यू जे एस, गोपेश्वर): ₹ 0.39 करोड़ एवं 17/जी एम /2017-18 (यू जे एस, हरिद्वार): ₹ 1.76 करोड़ (कुल: ₹ 2.18 करोड़)।

[12] अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाएगी:
(i) अनुमानित लागत से पांच *प्रतिशत* तक कम पर: कोई अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी नहीं।
(ii) अनुमानित लागत से पांच *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक कम होने पर: अनुमानित लागत से प्रत्येक 1 *प्रतिशत* कमी पर अनुमानित लागत का 0.5 *प्रतिशत* अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाप्रबंधक (जी एम), गंगा ने एस टी पी के निर्माण के लिए ठेकेदारों के साथ दो अनुबंध[13] (सितंबर 2017 एवं मई 2018) किए। अनुबंध संख्या 02/जी एम/2018-19 अनुमानित लागत से 7.05 *प्रतिशत* कम पर निष्पादित किया गया था जबकि अनुबंध संख्या 11/जी एम/2017-18 को 10.13 *प्रतिशत* कम पर निष्पादित किया गया। उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार, संबंधित ठेकेदारों से अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी की धनराशि के रूप में क्रमशः ₹ 4.76 करोड़[14] और ₹ 3.10 करोड़[15] की धनराशि ली जानी चाहिए थी लेकिन इसे नहीं लिया गया। विवरण नीचे **तालिका-5.5** में दिया गया है:

तालिका-5.5: ठेकेदारों द्वारा अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी जमा न करना

क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	अनुबंध की दर (*प्रतिशत* में)	अतिरिक्त *परफॉरमेंस सिक्युरिटी* (₹ करोड़ में)
01	02/जी एम/2018-19	135.96	7.05 नीचे	4.76
02	11/जी एम/2017-18	62.07	10.13 नीचे	3.10
			योग	***7.86***

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि विभाग ने कार्यों के निष्पादन में कोई जोखिम नहीं देखा इसलिए अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्युरिटी नहीं ली गयी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि महाप्रबंधक, गंगा ने ठेकेदारों को छूट प्रदान करने में वित्तीय नियमों के उपबंधों की अनदेखी की।

5.10 नमामि गंगे की निधियों से अनियमित व्यय

वित्तीय औचित्य के मानक (सामान्य वित्तीय नियम के नियम 21) में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक अधिकारी से सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में वही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जो साधारण विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करता है। व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए, कार्यों की किसी भी अधिप्राप्ति को निरपवाद रूप से मितव्ययिता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

---

[13] (1) यू जे एन, ऋषिकेश की अनुबंध संख्या-02/जी एम/2018-19 अनुबंध धनराशि-₹ 126.37 करोड़ (अनुमानित लागत-₹ 135.96 करोड़) (2) यू जे एन, हरिद्वार की अनुबंध संख्या-11/जी एम/2017-18 अनुबंध धनराशि-₹ 55.78 करोड़ (अनुमानित लागत-₹ 62.07 करोड़)।

[14] अनुबंध संख्या-02/जी एम/2018-19 अनुमानित लागत-₹ 135.96 करोड़ (₹ 135.96 करोड़ x 0.50 *प्रतिशत* x 7 = ₹ 4.76 करोड़)।

[15] अनुबंध संख्या-11/जी एम/2017-18 अनुमानित लागत-₹ 62.07 करोड़ (₹ 62.07 करोड़ x 0.50 *प्रतिशत* x 10 = ₹ 3.10 करोड़)।

एस एम सी जी ने वर्ष 2016 में 27 एम एल डी एस टी पी जगजीतपुर को तृतीयक शोधन स्तर तक उन्नत करने के लिए एन एम सी जी को डी पी आर प्रस्तुत की थी। डी पी आर में ₹ एक करोड़ की पूंजीगत लागत से 'मौजूदा डाइजेस्टर और स्लज ड्रायिंग बेड का पुनर्वास' नामक मद भी शामिल थी।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण और अनुरक्षण इकाई (गंगा), यू जे एन, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डाइजेस्टर आइटम न तो 27 एम एल डी एस टी पी से संबंधित था और न ही तृतीयक शोधन प्रक्रिया से कोई लेना-देना था, जिसके लिए डी पी आर प्रस्तुत किया गया था। जबकि डाइजेस्टर 18 एम एल डी एस टी पी जगजीतपुर का एक हिस्सा था और बायोगैस के उत्पादन के लिए था। अतः 27 एम एल डी एस टी पी जगजीतपुर को तृतीयक शोधन के रूप में उन्नयन करने के लिए इस मद पर व्यय का प्रस्ताव करना अनियमित था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि दोनों एस टी पी (18 एम एल डी और 27 एम एल डी एस टी पी) में उत्पन्न स्लज का एक साथ स्लज इकाइयों में शोधन किया जा रहा था। 18 एम एल डी और 27 एम एल डी से सभी स्लज को डाइजेस्टर में पंप किया जा रहा था और फिर स्लज ड्रायिंग बेड में भेजा जा रहा था। इसलिए, डाइजेस्टर और स्लज ड्रायिंग यूनिट 18 एम एल डी एस टी पी और 27 एम एल डी एस टी पी दोनों के अभिन्न अंग हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डाइजेस्टर का उपयोग स्लज के शोधन के लिए नहीं, बल्कि बायोगैस उत्पादन के लिए किया गया, जो कि तृतीयक शोधन प्रक्रिया नहीं है। अतः तृतीयक शोधन संयंत्रों पर डाइजेस्टर और स्लज ड्रायिंग बेड का व्यय आरोपित करना अनियमित था।

5.11 रॉयल्टी एवं जिला खनिज निधि की धनराशि की कटौती न किया जाना

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियम 2016 के अनुसार खनिज निष्कर्षण के लिए जिला खनिज निधि (डी एम एफ) में अनिवार्य अंशदान समय-समय पर निर्धारित दर पर देय होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन नियम 2017 के नियम-10 के अनुसार रायल्टी के 25 *प्रतिशत* के बराबर अतिरिक्त धनराशि डी एम एफ में जमा की जायेगी।

गंगा की वानिकी गतिविधियों के वाउचरों[16] की जाँच के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्यों के दौरान बोल्डर और बजरी का उपयोग किए जाने के बावजूद प्रभागों द्वारा ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी और डी एम एफ धनराशि की कटौती नहीं गई थी। इसके अतिरिक्त, उप-खनिजों का उपभोग विवरण एवं फॉर्म-जे/एमएम-11 बिलों/वाउचरों के साथ संलग्न नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि छः आई ए[17] के ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादित किए गए थे जिनमें रेत और बजरी जैसे खनिजों का उपयोग नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाउचरों की जाँच के दौरान यह देखा गया था कि दीवारों, चैकडैम आदि के निर्माण में रेत और बजरी का उपयोग किया गया था। इसलिए, ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी के साथ-साथ डी एम एफ की कटौती न करना अनियमित था, और प्रभागों द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

5.12 श्रम उपकर की कटौती न किया जाना

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिष्ठानों को, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक भवन श्रमिकों को नियोजित किया था, नियोक्ता द्वारा वहन की गई कुल निर्माण लागत के न्यूनतम एक *प्रतिशत* एवं अधिकतम दो *प्रतिशत* की दर से श्रम उपकर का भुगतान करना आवश्यक है।

आठ कार्यान्वयन इकाइयों के वाउचर की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से प्रभागों द्वारा श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई थी और उन्होंने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलों से ₹ 0.59 करोड़ के श्रम उपकर की कटौती किए बिना ₹ 59.45 करोड़[18] का भुगतान कर दिया था।

---

16 (1) प्रभागीय वनाधिकारी (डी एफ ओ), भूमि संरक्षण, लैंसडाउन (पौड़ी) (2) डी एफ ओ, टिहरी डैम-I, नई टिहरी (3) डी एफ ओ, वन प्रभाग, नई टिहरी। (4) डी एफ ओ, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून (5) डी एफ ओ, वन प्रभाग, मसूरी (6) डी एफ ओ, वन प्रभाग, हरिद्वार।

17 तीन प्रभागों (डी एफ ओ, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग और वन प्रभाग, हरिद्वार) द्वारा रॉयल्टी चालान जमा किए गए हैं।

18 (1) अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर - ₹ 3.35 करोड़ (2) सिविल और सोयम वन प्रभाग, पौड़ी - ₹ 8.20 करोड़ (3) रुद्रप्रयाग वन प्रभाग - ₹ 6.59 करोड़ (4) टिहरी डैम I - ₹ 15.71 करोड़ (5) टिहरी वन प्रभाग - ₹ 12.70 करोड़ (6) एस सी प्रभाग, लैंसडाउन - ₹ 8.20 करोड़ (7) गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी - ₹ 1.54 करोड़ (8) डी एफ ओ, मसूरी - ₹ 3.16 करोड़ (कुल: ₹ 59.45 करोड़)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2024) कि सात प्रभागों[19] की अनुसूचित दरों में श्रम उपकर का प्रावधान न होने के कारण श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा श्रम उपकर की कटौती न करना ठेकेदार को अनुचित लाभ था एवं इससे श्रम कल्याण के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

5.13 अनुशंसा

राज्य सरकार इस अध्याय में उल्लिखित गैर-अनुपालन के प्रकरणों की समीक्षा एवं उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है।

देहरादून **(संजीव कुमार)**
दिनांक: 25 जून 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 01 जुलाई 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

[19] कटौती की सूचना एक प्रभाग (अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर) द्वारा दी गई है।